

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 76 / 2023  
दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय: डी-आयल्ड राइस ब्रान की नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना सं. 51/2023 में परिवर्तन करते हुए डी-आयल्ड राइस ब्रान की नीतिगत शर्त से संबंधित निम्नलिखित संशोधन करती है:-

आईटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
2306	खली और अन्य ठोस अवशिष्ट, चाहे पीसी हुई हो अथवा टिकियां के रूप में हो, जो वनस्पति अथवा माइक्रोबियल फ़ैट्स अथवा तेलों के निष्कर्षण से प्राप्त हो, शीर्षक 2304 अथवा 2305 की वस्तुओं के अलावा	मुक्त	तथापि, आईटीसी एचएस कोड 2306 और अन्य किसी एचएस कोड के अंतर्गत डी-आयल्ड राइस ब्रान का निर्यात दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निषिद्ध है।	तथापि, आईटीसी एचएस कोड 2306 और अन्य किसी एचएस कोड के अंतर्गत डी-आयल्ड राइस ब्रान का निर्यात दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक निषिद्ध है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

डी-आयल्ड राइस ब्रान के निर्यात के निषेध को 31 मार्च, 2024 के आगे और दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी  
15.3.2024  
(संतोष कुमार सारंगी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं  
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार  
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/191/030/एम21/ईसी/ई-36363 से जारी)